



**अनुबंध – 1**  
**गारंटी बॉन्ड प्रारूप**

मुख्य महाप्रबंधक  
भारतीय रिजर्व बैंक  
मुद्रा प्रबंध विभाग  
केंद्रीय कार्यालय  
मुंबई

प्रिय महोदय,

हमारे द्वारा (बैंक का नाम) बैंकों / डाकघरों से प्राप्त किए गए रू. 500/- तथा रू. 1000/- मूल्यवर्ग की वापस ली गई वैध मुद्रा, जिसको इसके बाद विनिर्दिष्ट बैंक नोट (SBN) कहा जाएगा, जिसकी विस्तृत जांच लंबित है, के विनिमय के मूल्य का तुरंत भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के मद्देनजर हम उक्त कथित (बैंक का नाम) मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा लगाई गई निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं :

- (i) हमारे द्वारा प्राप्त किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के बॉक्स, उक्त निहित आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित भण्डारण तथा लेखांकन किए जाएंगे तथा संबन्धित निर्गम कार्यालय से अनुदेश प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के विप्रेषित किए गए ।
- (ii) नोटों के कम पड़ना, गंदे नोटों, निर्माण किए गए नोटों, जाली नोटों आदि सहित कोई कमी पाई जाती है तो इसको बिना किसी रूकावट के सही करना
- (iii) नोटों के कम पड़ने या अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक हमारे रिजर्व बैंक में रखे गए खाते को नामे करके वसूली करने हेतु अधिकृत है ।

2. यह घोषणा तब तक प्रभावी रहेगी जब तक इसको लिखित में रद्द नहीं किया जाता ।

भवदीय

की ओर से  
(बैंक का नाम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)  
(आधिकारिक पहचान / सील नंबर)

(दिनांक) के दिन (माह) वर्ष)